बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

महत्वपूर्ण सूचना

सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु Online आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदन के आलोक में Draft Merit List प्रकाशित करते हुए दिनांक 05.03.2018 तक दावा/आपत्ति की मांग की गयी थी। प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया है :–

1. आवेदन–पत्र में यदि GATE Score तथा GATE Year में त्रुटि हो तो उसे अभ्यर्थी स्वंय Online संशोधित कर ले। इस हेतु दिनांक 21.03.2018 से 31.03.2018 के अपराह्न 5:00 बजे तक Portal खुला रहेगा।

2. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को देय क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान के आलोक में इससे संबंधित Option आवेदन में कर दिया गया है। तदनुसार पात्र आवेदक प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके तहत् दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. उपर्युक्त संशोधन का यह अंतिम अवसर होगा। इस अवधि के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को संशोधन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं Upload documents के आधार पर अग्रेत्तर विनिश्चय किया जायेगा।

4. कुछ अभ्यर्थियों का नाम सूची में एक से अधिक बार अंकित है, कुछ अभ्यर्थी के मामले में उद्धृत सूचना प्रथम द्रष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस प्रकार की विसंगतियों का निराकरण Counselling के दौरान किया जायेगा। Counselling के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। Counselling के क्रम में यदि यह स्थापित होगा कि किसी अभ्यर्थी द्वारा लाभ पाने के प्रयोजन से त्रुटिपूर्ण सूचना upload की गई है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

5. संशोधन अवधि की समाप्ति के उपरांत अंतिम रूप से प्राप्त शुद्ध आवेदन पत्रों की सूची पुनः विभागीय बेवसाइट पर जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित की जायेगी। इस क्रम में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र भी द्रष्टव्य रहेगा।

6. उपर्युक्त प्रदर्शित सूची के आधार पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित रिक्तियों के तीन गुणा अभ्यर्थियों को Counselling के लिए बुलाया जायेगा।

7. Counselling के फलाफल के आधार पर Draft Merit List तैयार की जायेगी, जिसे सात दिनों के लिए विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। उस दौरान यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज कराया जाता है, तो उक्त प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण करने के उपरांत अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी। अंतिम मेधा सूची के आधार पर संविदा आधारित नियुक्ति का चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करना होगा।

21.3.18

(रत्नेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव